




झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9124219

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-01		
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	9	पृष्ठ संख्या वर्तमान	26	थाना न.	4		
वर्तमान(VOL)									
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है	कारोबार विस्तृत सूचना	ल	
						खाता न.	प्लॉट न.	क्षेत्रफल	
24219	3359 /R27 2022 - 2023	पाण्डरपाला/ 4	झरिया	24/12/2022	By Sale Registration Deed 5438 Dated 01/09/2022	261 4 26	261 886	4.43 डिसमील	5
क्रेता का नाम :		जमाबंदी रैयत का नाम :			विक्रेता का नाम :				
(MRS PEENAZ ANZARपिता-MD ANZAR AHMAD, जाति-., पता-RAMZAN MANZIL NAYA BAZAR BANK MORE DHANBAD)		JAWED IQBAL KHAN-पिता-MUNIR AHMAD KHAN			MR JAWED IQBAL KHAN, पिता-LAI AHMAD KHAN, जाति-., पत्ता-NAYA I MORE DHANBAD				
राजस्व कर्मचारी हलका-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।						Signature valid  Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद			

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

Duplicate Copy

11-Nov-2024

आदेश

तिथि

Dec 24 2022

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पाण्डरपाला थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
261	886	0 एकड़, 4.43 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
MR JAWED IQBAL KHAN	पिता	LATE MUNIR AHMAD KHAN

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 5438 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
JAWED IQBAL KHAN	पिता	MUNIR AHMAD KHAN

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है जो भूमि विजय बैंक से ऑक्शन द्वारा बिक्रेता को प्रतप्त है

अतः वार्षिक लगान **5रुपये**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद